

कार्यालय आख्या पुस्तकालय अनुभाग जनपद न्यायालय उरई।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय जनपद न्यायाधीश, जालौन स्थान उरई के आदेश दिनांक 15.02.2024 के अनुपालन में जनपद न्यायालय, जालौन स्थान उरई के पुस्तकालय अनुभाग में वर्ष 2023-24 के दौरान लॉ जर्नल्स विधि पत्रिकाओं की जिल्दसाजी कराये जाने हेतु बुक बाइन्डरों से कुटेशन मूल्य प्रति पुस्तक की दर से आमन्त्रित किये जाते हैं।

उपरोक्त कुटेशन बन्द लिफाफे में दिनांक 26.02.2024 तक प्राप्त हो जाने चाहिये। जो प्रभारी अधिकारी पुस्तकालय अनुभाग के समक्ष खोले जायेंगे। कुटेशन स्वीकार अथवा अस्वीकार माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को सुरक्षित रहेगा।

दिनांक-16.02.2024

प्रभारी अधिकारी,
पुस्तकालय/ लेखन सामग्रीअनुभाग,
जनपद न्यायालय, जालौन स्थान उरई।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
2. जिला सूचना अधिकारी के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
3. अध्यक्ष, नगरपालिका उरई के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
4. जिला जजी उरई के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
5. सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा हेतु।
6. समाचार पत्रों में निशुल्क प्रकाशन हेतु।
7. जनपद न्यायालय की बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु।

Ant
16/2/24
प्रभारी अधिकारी,
पुस्तकालय/ लेखन सामग्रीअनुभाग,
जनपद न्यायालय, जालौन स्थान उरई।
पुस्तकालय, जिला जजी उरई।